

विधान सभा प्रश्न

|                    |   |                               |
|--------------------|---|-------------------------------|
| विभाग का नाम       | : | गृह विभाग                     |
| तारांकित प्रश्न    | : | 1134                          |
| उत्तर की तिथि      | : | 05.02.2019                    |
| विषय               | : | कोर्ट की स्थापना              |
| प्रश्नकर्ता का नाम | : | श्री मोहन लाल ब्राक्टा(रोहडू) |
| सम्बन्धित मंत्री   | : | मुख्यमंत्री                   |

| प्रश्न  | उत्तर   |
|---|---|
| क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार रोहडू में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का स्थाई कोर्ट स्थापित करने का विचार रखती है; यदि हां, तो कब तक; यदि नहीं तो कारण ? | वर्तमान में रोहडू में स्थाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। |